अपील संख्या 71/2024

तारीख हुक्म	लीलाराम V/s ओमदेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.05.2026	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्तागण उपस्थित। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व राजस्व वाद पेश किया, साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 28.06.2024 को अन्तरिम स्थगन पारित किया गया। आदेशिका दिनांक 27.07.2024 द्वारा पत्रावली दिनांक 30.08.2024 को नियत की गयी। इसी दरम्यान प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के आवश्यक सुनवाई बाबत प्रार्थना पत्र व आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पत्रावली सुनवाई में लेकर अपीलांट प्रार्थी को सुने बिना रेस्पोडेन्ट को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.06.2024 को अपास्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 589 जो कि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज गै.मु. रास्ता है तथा अपीलांट द्वारा उक्त प्रविष्टि भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश व अधिकार के कर दिये जाने जबकि भू–प्रबध पूर्व उक्त आराजी काबिल काश्त होने से प्रार्थी द्वारा भू–प्रबध पूर्व स्थिति बहाल किये जाने बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो जैरकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि खसरा संख्याा 589 की आराजी अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिसमें रेस्पोडेन्ट का कोई अधिकार प्रथम दृष्टया निहित नहीं है। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना न केवल नियत दिनांक से पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की गयी, बल्कि रेस्पोडेन्ट को पक्षकारा भी संयोजित कर दिया गया। जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः अपील अपीलांट बूखबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निर्णित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पूर्णतया विधि सम्मत व उचित होगा। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2024 बउनवान लीलाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का विधिनुरूप गुणावगुण पर अन्तिम निस्तारण करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबन्द किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय में असालतन/वकालतन विहित तारीख पेशी को उपस्थित रहे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डा0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली